संख्या-74/2021/1038/22-2-2020-17(127)/2011

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री कुंजीलाल, निवासी जनपद-ललितपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूलाल पुत्र श्री कुंजीलाल, जो डोंगरा कला, थाना-नाराहट, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। दिनांक 11/12.01.1994 की रात्रि में बंदी व उसकी पत्नी लीला जरूरी कागजों के गुम जाने को लेकर चर्चा कर रहे थे तभी अचानक दोनों झगडा करने लगे। बंदी में गुस्से में आकर अपनी पत्नी लीला, पुत्री-सुमन तथा पुत्र राकेश (03 लोगों) को तलवार से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-33/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 27.01.1998 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.07.1998 द्वारा उक्त सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 26 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष 08 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी बाबूलाल पुत्र कुंजीलाल की आयु, कारित जघन्य अपराध एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी बाबूलाल (बन्दी संख्या-4863) पुत्र श्री कुंजीलाल, निवासी जनपद-ललितपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-74/2021/1038(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in